

उपायुक्त -सह- जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गुमला

अनुसूची - 14 - फारम सं० - 563

आदेश - फलक  
(देखें अभिलेख हस्तक, 1942 का नियम - 129)

छेदन उराँव  
बनाम  
बलेश्वर साहु

आदेश फलक तारीख.....से.....तक। जिला - गुमला

वाद सं० :- 02/2018-19

वाद का प्रकार :- विविध अपील (Miscellaneous Appeal)


राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड राँची के परिपत्र सं०-(सं०स०15/नि० विविध) जन आवेदन-04/16-930, दिनांक-21.09.2016 के आलोक में आवेदक श्री छेदन उराँव पिता- लगन उराँव, ग्राम-कुदरा थाना-सिसई जिला-गुमला के द्वारा दस्तावेज निष्पादक/दावेदार बलेश्वर साहु, पिता-बालमुकुन्द साहु ग्राम वो थाना-सिसई जिला-गुमला के विरुद्ध परिवाद पत्र समर्पित किया गया है, जो जिला अवर निबंधक, गुमला के पत्रांक-200 दिनांक-22.06.2018 के माध्यम से प्राप्त है। उक्त में उनके द्वारा दस्तावेज निष्पादक/दावेदार बलेश्वर साहु के विरुद्ध प्रतिरूपण (Impersonation) या फर्जी/जाली कागजातों तथा साक्ष्य के आधार पर निम्नांकित भूमि को निष्पादित निबंधित बिक्री पट्टा सं०-2156 दिनांक-28.08.2009 द्वारा निबंधित करने का शिकायत करते हुए उक्त निबंधन आदेश को निरस्त करने का अनुरोध करते हैं:-


क्र०	मौजा	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (एकड़ में)
1	कुदरा	77	144	890	0.69
	कुल				0.69

अभिलेख का अवलोकन किया अंचल अधिकारी सिसई के पत्रांक-444 दिनांक-03.07.2020 के प्रतिवेदन/मंतव्य के आधार पर मौजा-कुदरा के खाता सं०-144 प्लॉट सं०-890 रकबा-0.69 एकड़ भूमि राजस्व कागजातों के आधार पर बकास्त भूईहरी मुण्डई नाम लगान पाने वाले सुखन उराँव दर्ज है, जो आदिवासी खाते की भूमि है। आदिवासी खाते की भूमि होने के कारण आवेदक को विधिक सेवा प्रदान करते हुए उनकी खतियानी भूमि वापस दिलाने हेतु आवश्यक मदद की जाय।

अत उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गुमला को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

  
24.04.22  
उपायुक्त,  
गुमला

  
24.04.22  
उपायुक्त,  
गुमला